

अप्रतिवेद्य

Hkjr d mPpre U; k; ky; ds l e{k  
vkj kf/kd vihyh; {k=kf/kdkfjrk  
vkj kf/kd vihy dz1112@2015

विजय रैकवार

अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

प्रत्यर्थीगण

fu.kz

U; k; efrz , e- vkj- 'kg

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा अपील क्रमांक 198/2014 में पारित आछिप्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.07.2014 से व्यथित एवं असंतुष्ट हूँ, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कथित अपील को खारिज कर, विद्वान अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली जिला सागर म.प्र. द्वारा, सेशन विचारण क्र. 49/2013 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.12.2013 को संपुष्ट किया है तथा मुख्य अपराधी को भ.द.सं की धारा 372 (2) (एफ) तथा धारा 201 के अंतर्गत दण्डनिय अपराध तथा लैंगिक उत्पीड़न से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोकसो अधिनियम) की धारा 5 (आई), 5 (एम) एवं 5 (आर) सहपठित धारा 6, के अंतर्गत दण्डनिय अपराध, के लिए दोषसिद्धी को संपुष्ट किया है तथा मृत्युदंड की पुष्टि की है, मुख्य अपराधी ने वर्तमान अपील लगाई है ।

2. यह कि न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/मुख्य आरोपी का विचारण, 7 1/2 वर्ष की नाबालिग लड़की का रेप करने के बाद उसकी हत्या करने के लिए धारा भ.द.सं की धारा 376 (2) (एफ) एवं 201 तथा पोकसो अधिनियम की धारा 5 (आई), 5 (एम) तथा 5 (आर) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत दण्डनिय अपराध से किया गया ।

स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

अभियुक्त के विरुद्ध बरामद सामग्री का विचार करने पर तथा साक्ष्यों का मुल्यांकन करने पर, तथा यह विचार करने पर कि अभियुक्त अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया, तथा पीड़ित की फ़ॉक, गद्दे तथा चादर में लगे खून अभियुक्त के घर में पाये गये, जिसका स्पष्टीकरण अभियुक्त द्वारा नहीं दिया गया तथा चिकित्सीय साक्ष्य का विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने भ.द.सं की धारा 376 (2) (एफ) तथा धारा 201 साथ ही साथ पोकसो अधिनियम की धारा 5 (आई), 5 (एम) एवं 5 (आर) सहपठित धारा (6) के अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा जुर्माना सहित कारावास के अन्य निबंधनों से दंडित किया है। सभी सजायें एक साथ चलने का निर्देश दिया गया है। विद्वान अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ने माननीय उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रस्तुत किया। दोषसिद्धी एवं दंडादेश से व्यथित होकर, अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल अपील क्र. 198/2014 दायर की, आछेपित निर्णय एवं आदेश के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश का निपटारा अभियुक्त के विरुद्ध किया। अभियुक्त द्वारा की गई क्रिमिनल अपील को भी खारिज किया, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धी एवं सजा की संपुष्टी माननीय उच्च न्यायालय ने की है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। दोषसिद्ध एवं मृत्युदंड की सजा के विरुद्ध अभियुक्त ने वर्तमान क्रिमिनल अपील की है।

3. हमने अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।

4. अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने सख्ती से प्रस्तुत किया इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, दोनों ही निचले न्यायालयों ने आरोपी को भ.द.सं की धारा 376 (2) (एफ) तथा धारा 201 साथ ही साथ धारा 5 (आई), 5 (एम), एवं 5 (आर) सहपठित पोकसो अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अपराध का दोषी करार कर सारवान भूल की है। उन्होंने सख्ती से प्रस्तुत किया है की वर्तमान मामले में, घटना का कोई भी चक्षु साक्षी नहीं है तथा पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह भी प्रस्तुत किया है कि जब तक कि साक्ष्य की श्रंखला को देखते हुये अपराध कारित करने में अभियुक्त का दोषी होना संदेह से परे सिद्ध नहीं होता, दोनों ही न्यायालयों ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में सारवान भूल की है।

5. अनुकल्पतः, अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में लघुकृत करने की विनती की है। अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के निर्णय जो कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 SCC 684 साथ ही साथ हाल ही में

स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।

निर्णित मामला श्याम सिंह उर्फ भीमा विरुद्ध म.प्र. राज्य (2017) II SCC 265 पर बहुत ही भरोसा किया है ।

6. उभयपक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया । संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किए गए निवेदन को विचार में लेते हुए तथा विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मुल्यांकन पर अभिलिखित निष्कर्ष जो की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किये गए थे, हम इस बात पर अडिग हैं कि भ.द.सं की धारा 376 (2) (एफ) तथा धारा 201 साथ ही साथ पोकसो अधिनियम की धारा 5 (आई), 5 (एम), एवं 5 (आर) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धी हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है चूंकि, सेशन न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष तथा उच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्टि, साक्ष्य के मुल्यांकन पर आधारित है ।

6.1 वर्तमान मामले में, यह सिद्ध करने में कि अभियुक्त पीड़ित के साथ अंतिम बार देखा गया था अभियोजन सफल रहा है, यह कि उसने पीड़ित को एक रूपये का सिक्का दिया, उसने एक साक्षी अर्थात् भारती, जो कि पीड़ित के साथ थी को जाने के लिए कहा, तत्पश्चात् पीड़िता की लाश अभियुक्त के घर के पास पाई गई तथा पीड़िता की फ्रॉक खाट पर पड़ी थी तथा गद्दे एवं चादर पर खून लगा था और वही खून पीड़िता के रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) से मिलता है तथा दं.प्र.सं की धारा 313 के अंतर्गत बयान में अभियुक्त अपने विरुद्ध बरामद सामग्री/साक्ष्य का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को उचित रूप से दोषसिद्ध किया है जो कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से पुष्ट किया गया है । अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता, न्यायालय को संतुष्ट करने में विफल रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष जो कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया है जिसमें अभियुक्त को नाबालिग लड़की का रेप करने के बाद उसकी हत्या करने का दोषी माना गया है, किस तरह अनुचित एवं अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत है, उपरोक्त परिस्थितियों में , हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धी के निर्णय एवं आदेश को पुष्ट करते हैं ।

7 अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से किए मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में लघुकृत करने के निवेदन तथा प्रार्थना का सवाल है, अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सेशन न्यायालय द्वारा अधिरोपित मृत्युदण्ड के प्रश्न पर, सुनने के पश्चात्, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट किया गया है तथा मामले की परिस्थितियों तथा समग्रता को तथा बचन सिंह (पूर्व) एवं श्याम सिंह (पूर्व) के मामलों में न्यायालय के निर्णयों को, विचार करने पर, हमारी यह राय है कि वर्तमान मामला “विरल से विरलतम मामलों” की श्रेणी में नहीं आता जिसमें मृत्यु दण्ड दिया जा सकेगा । हमने प्रत्येक परिस्थिती एवं अपराध साथ ही साथ

स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने को प्रेरित करने वाले तथ्यों को विचारा यद्यपि, हम अपराध की गंभीरता को स्वीकार करते हैं, हम स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ हैं कि क्या यह मामला “विरल से विरलतम मामला” की श्रेणी में आएगा जिसमें मृत्यु दण्ड दिया जा सके । कारित अपराध को निश्चित रूप से कुर कहा जा सकता है परन्तु इसमें मृत्यु दण्ड नहीं दीया जा सकेगा। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त पूर्व दोषसिद्ध नहीं था या एक पेशेवर हत्यारा नहीं था। अपराध कारित करते समय वह 19 वर्ष का था । उसका जेल का आचरण भी अच्छे होने की सूचना थी । पूर्वोक्त प्रश्नकारी परिस्थितियां तथा इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों को विचार में लेते हुए, हमारा यह मानना है कि मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में लघुकृत करना न्याय के हित में होगा।

8. उपरोक्त को देखते हुए एवं उपरोक्त वर्णित कारणों से लिए, वर्तमान अपील दोषसिद्धी को चुनौती देते हुए खारिज की जाती है । भं.द.सं की धारा 376 (2) (एफ) तथा धारा 201 साथ ही साथ पोकसो अधिनियम की धारा 5 (आई),5 (एम) एवं 5 (आर) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धी की संपुष्टी की जाती है। जबकि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा पूर्वोक्त संदर्भित कारणों से, हम मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में लघुकृत करते हैं ।

9. वर्तमान अपील, उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्तानुसार निराकृत की जाती है

न्यायमूर्ति ऐ.के. सिकरी

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नाजिर

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

नई दिल्ली  
05 फरवरी, 2019

स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।